

पटना में दिनांक—10 दिसम्बर, 2013 मंगलवार को अपराह्न 06:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

1. राज्य स्पोर्ट्स एकेडमी एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक के अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की स्वीकृति के संबंध में।
1. स्वीकृत।

गृह विभाग (विशेष)

2. वर्ष 1989-90 में भागलपुर में घटित साम्प्रदायिक दंगा में मृत/लापता के आश्रितों को गृह (विशेष) विभाग के पत्रांक—9827, दिनांक—11.09.2007 द्वारा ₹ 2500.00 (दो हजार पाँच सौ रु०) प्रति व्यक्ति प्रतिमाह की दर से स्वीकृत पेंशन राशि को बढ़ती मंहगाई के मद्देनजर बढ़ा कर आदेश निर्गत के माह से ₹ 5000.00 (पाँच हजार रु०) प्रति व्यक्ति प्रतिमाह की स्वीकृति।
2. स्वीकृत।

गृह विभाग (विशेष)

3. वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगा में 02 (दो) मृतकों के आश्रित (विधवा) को गृह (विशेष) विभाग के आदेश ज्ञापांक—5584, दिनांक—28.07.2009 द्वारा ₹ 2500.00 (दो हजार पाँच सौ रु०) प्रतिमाह की दर से स्वीकृत पेंशन राशि को बढ़ती मंहगाई के मद्देनजर बढ़ा कर आदेश निर्गत के माह से ₹ 5000.00 (पाँच हजार रु०) प्रति आश्रित (विधवा) प्रतिमाह की स्वीकृति।
3. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

4. लघु बाँध (जमींदारी बाँध सहित) के जीर्णोद्धार, रख-रखाव, मरम्मति एवं निर्माण हेतु नीति।
4. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

5. बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2013 की स्वीकृति के संबंध में।
5. स्वीकृत।

वित्त विभाग

6. अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों को मंहगाई भत्ता/राहत की दरों में दिनांक—01.07.2013 से संशोधन के फलस्वरूप दिनांक—01.07.13 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति।
6. स्वीकृत।

वित्त विभाग

7. पंचम राज्य वित्त आयोग के गठन के संबंध में। 7. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

8. वित्तीय वर्ष 2013–14 में राज्य योजना के अंतर्गत पूर्व से संचालित महादलित, अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत 15 से 35 आयु वर्ग की 8 लाख महादलित एवं अति पिछड़ा वर्ग महिलाओं तथा 4 लाख अल्पसंख्यक महिलाओं को बुनियादी साक्षरता एवं विकासात्मक योजनाओं से एवं 6–14 आयु वर्ग के महादलित, अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़ा वर्ग समुदाय के बच्चों को विद्यालयी शिक्षा से जोड़ने के संबंध में कुल ₹ 12890.24 लाख (एक अरब अठाईस करोड़ नब्बे लाख चौबीस हजार रु०) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के साथ उक्त योजना की अवधि दिसम्बर–2013 से बढ़ाकर मार्च, 2014 तक करने का प्रस्ताव है। साथ ही, राज्य सरकार द्वारा की गयी घोषणा के अनुरूप टोला सेवक एवं तालीमी मरकज स्वयंसेवियों के कार्य मूल्यांकन के आधार पर पूर्व में मासिक मानदेय 3500/-प्रतिमाह से बढ़ाकर दिसम्बर, 2013 से मासिक मानदेय 5000/-करने की स्वीकृति का प्रस्ताव है।

शिक्षा विभाग

9. सी.डब्लू.जे.सी. सं.-7454/2004 रेवती रमण वर्मा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–22.12.2011 एवं सी.डब्लू.जे.सी. सं.-14811/2004 दिनांक– 18.12.2009 मदन मिश्रा एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश के आलोक में विघटित बिहार राज्य विश्वविद्यालय (अंगीभूत महाविद्यालय) सेवा आयोग, पटना के सेवानिवृत्त कर्मी को पुनरीक्षित वेतनमान् में सेवा निवृत्ति लाभ/पेंशन स्वीकृत करने के संबंध में। 9. स्वीकृत।

खान एवं भूतत्व विभाग

10. सर्वश्री कल्याणपुर सिमेन्ट लिं० द्वारा रोहतास जिलान्तर्गत, मौजा—मुरली पहाड़ी में 131.90 एकड़ (53.378 हें०) क्षेत्र पर धारित चूना पत्थर खनन् पट्टा के नवीकरण आवेदन को अस्वीकृत करने के संबंध में। 10. स्वीकृत।

योजना एवं विकास विभाग

11. बिहार कोसी बाढ़ समुत्थान परियोजना के तहत निर्माणाधीन आवासों में शौचालय निर्माण की स्वीकृति। 11. स्वीकृत।

पर्यावरण एवं वन विभाग

12. वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2014–15 तक पथ तट फार्म योजना के तहत मुख्यमंत्री निजी पॉपलर पौधशाला अंतर्गत ₹ 2591.98 लाख (पच्चीस करोड़ एकानवें लाख अंठानबे हजार ₹) मात्र की लागत पर योजना की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2013–14 में ₹ 585.89 लाख (पाँच करोड़ पचासी लाख नवासी हजार ₹) मात्र के व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव। 12. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

13. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत 41 पुरानी ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के पुनर्गठन एवं पाँच वर्षों के लिए परिचालन तथा रख-रखाव कार्य हेतु कुल 11179.289 लाख रुपये (एक सौ ग्यारह करोड़ उन्नासी लाख अड्डाईस हजार नौ सौ रुपये) की राशि पर योजना की स्वीकृति। 13. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

14. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पाईप द्वारा जलापूर्ति के लिए 65 नई ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण तथा पाँच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख-रखाव हेतु कुल 12496.285 लाख (एक सौ छौबीस करोड़ छियानवे लाख अड्डाईस हजार पाँच सौ रुपये) की राशि पर योजना की स्वीकृति। 14. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

15. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत राज्य के 38 जिलों में 21188 सस्टेनेबल चापाकलों (इंडिया मार्क-II पम्प के साथ) के निर्माण तथा पाँच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख-रखाव हेतु कुल 11654.664 लाख (एक अरब सोलह करोड़ चौबन लाख छियासठ हजार चार सौ रुपये मात्र) की राशि पर योजना की स्वीकृति। 15. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

16. केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पाईप द्वारा जलापूर्ति के लिए 45 नई ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण तथा पाँच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख-रखाव हेतु कुल 7635.608 लाख (छिहत्तर करोड़ पैतीस लाख साठ हजार आठ सौ रुपये) की राशि पर योजना की स्वीकृति। 16. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

17. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत राज्य के 38 ज़िलों में 86820 साधारण चापाकल, 5625 भू-जल स्तर में गिरावट के कारण बंद साधारण चापाकलों का रिहैबलीटेशन/रेजुवेनेशन, 1700 साधारण चापाकल का रेजड प्लेटफार्म के साथ रिहैबलीटेशन, 9460 चापाकल (इंडिया मार्क-III पम्प के साथ) की साधारण मरम्मति प्लेटफार्म एवं नाली के साथ, 3965 चापाकलों के इंडिया मार्क-III/II पम्प के साथ औसतन 9 मीटर राईजर पाईप बढ़ाने/बदलने का कार्य तथा 2210 ड्रिल्ड चापाकलों का प्लेटफार्म एवं नाली के साथ साधारण मरम्मति अर्थात् कुल 109780 चापाकलों की साधारण मरम्मति हेतु रु० 2423.70 लाख (चौबीस करोड़ तेर्झस लाख सत्तर हजार रुपये मात्र) की राशि पर योजना की स्वीकृति।
17. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

18. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में कार्यपालक अभियंता (यॉन्ट्रिक) वेतनमान—₹ 15,600—39,100+ग्रेड पे—₹ 6,600/- से अधीक्षण अभियंता (यॉन्ट्रिक) वेतनमान—₹ 37,400—67,000+ग्रेड पे—₹ 8,700/- के पद पर प्रोल्नति।
18. स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

19. बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम—105 के तहत पंचायत उप चुनाव, जनवरी, 2014 हेतु मतदान तिथि की अधिसूचना निर्गत करने के संबंध में।
19. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

20. नगर पंचायत, बिहटा के गठन की अधिसूचना को बातिल (Annul) किये जाने के संबंध में।
20. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

21. नगर पंचायत, मधुबन के गठन की अधिसूचना को बातिल (Annul) किये जाने के संबंध में।
21. स्वीकृत।

कृषि विभाग

22. कृषि रोड मैप के अधीन कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम का वित्तीय वर्ष 2013—14 में 18985.991 लाख रुपये (एक अरब नवासी करोड़ पचासी लाख निन्यानबे हजार एक सौ रुपये) की लागत से योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति।
22. स्वीकृत।

कृषि विभाग

23. उद्यान महाविद्यालय, नालंदा को वर्ष 2013–14 में 1412.17 लाख रुपये (चौदह करोड़ बारह लाख सत्तरह हजार रुपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति। 23. स्वीकृत।

कृषि विभाग

24. बिहार राज्य बीज निगम को बीज भंडारण तथा प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए 5422 लाख रुपये (चौवन करोड़ बाईस लाख रुपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति। 24. स्वीकृत।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

25. चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में मुख्यमंत्री मत्स्य विकास परियोजना अन्तर्गत मत्स्य विकास योजना के कुल 6 प्रकल्पों पर कुल ₹ 5820.08 लाख (अन्ठावन करोड़ बीस लाख आठ हजार) मात्र की लागत पर योजना के कार्यान्वयन हेतु व्यय की स्वीकृति के संबंध में। 25. स्वीकृत।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

26. वित्तीय वर्ष 2013–14 में राज्य योजनान्तर्गत राज्य में “समग्र गव्य विकास योजना” के सफल क्रियान्वयन हेतु कुल ₹ 105.5795 करोड़ (कुल ₹ एक अरब पाँच करोड़ सनतावन लाख पंचानवे हजार) मात्र की लागत पर अनुदान के रूप में व्यय करने की स्वीकृति। 26. स्वीकृत।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

27. गैर योजना बजट के अधीन बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड पटना को वित्तीय वर्ष 2013–14 में सहायक अनुदान–वेतन मद में उपबंधित ₹० 50.00 लाख (पचास लाख रुपये) मात्र के भुगतान की स्वीकृति। 27. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

28. गोपालगंज जिलान्तर्गत गोपालगंज अंचल के ग्राम–सरेया, थाना नं०–83, खाता नं०–339, खेसरा नं०–1442 में से रक्बा–0.70 एकड़ भूमि, जो सर्वे खतियान में कैसरे हिन्द दर्ज है का जननायक कर्पूरी ठाकुर पिछड़ा वर्ग छात्रावास के निर्माण हेतु पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग, कल्याण विभाग बिहार, पटना को निःशुल्क स्थायी अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण के संबंध में। 28. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

29. मधुबनी जिलान्तर्गत रहिका अंचल के मौजा-सौराठ, थाना सं०-२६, खाता सं०-१०४४, खेसरा सं०-३४२४ कुल रक्षा-८.२३ एकड़ भूमि में से ६.५० एकड़ भूमि जो संस्कृत उच्च विद्यालय सौराठ की भूमि है, को मधुबनी चित्रकला संस्थान खोलने हेतु कला संस्कृति एवं युवा विभाग को निःशुल्क अंतर्विभागीय स्थायी हस्तांतरण।
29. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

30. तिलका मॉड्झी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर इतिहास विभाग में म्यूजियम के लिए क्यूरेटर के पद सृजन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
30. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

31. वित्तीय वर्ष २००७-१४ के बीच समेकित आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (IHSDP) योजना के अधीन सरकार द्वारा १७ नगर निकायों में २०७२१ आवासों के लिए दी गयी कुल ₹ ५८१९३.५३ लाख (पाँच अरब इकासी करोड़ तिरानवे लाख तिरपन हजार रु० मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति के अतिरिक्त परियोजना प्रबंधन ईकाईयों के गठन के लिए आकस्मिकता मद में अतिरिक्त राशि ₹ ११५०.४५ लाख की प्रशासनिक स्वीकृति एवं उक्त परियोजनाओं हेतु संबंधित नगर निकायों को कार्यान्वयन एजेन्सी नामित करने के संबंध में।
31. स्वीकृत।